



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfddevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0/ल0व0एस0सी0एस0पी0-44/2015(खण्ड-3)-972

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

दिनांक :-01/09/2015

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह गुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु त्रि-वर्षीय कार्य एवं मधु तथा साल पत्तल बनाने हेतु प्रसंस्करण की स्थापना हेतु एक वर्षीय कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 73.632 लाख (तिहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन करने के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-71/2015-31/स्वी0 व0प0 दिनांक 17.08.2015 एवं आ0आ0संख्या-4/यो0बजट-71/2015-58/आ0 अ0व0प0 दिनांक 24.08.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह गुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु त्रि-वर्षीय कार्य एवं मधु तथा साल पत्तल बनाने हेतु प्रसंस्करण की स्थापना हेतु एक वर्षीय कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 73.632 लाख (तिहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. उक्त स्वीकृत/आवंटित राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601789090103	38.501
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789090323	26.371
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601789090335	8.760
कुल आवंटित राशि				73.632

अर्थात् कुल 73.632 लाख (तिहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित राशि 73.632 लाख (तिहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. (क) वन विभाग द्वारा योजना में चयनित लाभुक लाह उत्पादन हेतु अनुदान सहकारिता विभाग/अन्य श्रोत से प्राप्त न कर सके, वन प्रमंडल पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे।

4. (ख) वन प्रमंडल पदाधिकारी व्यवस्था करेंगे कि वन विभाग से चयनित लाभुकों द्वारा उत्पादित लाह की विक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहकारिता विभाग के माध्यम से करायी जाय।

5. उक्त स्वीकृति राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-2 एवं 3 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रूप से



निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करायेंगे।

7. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो वही की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में अच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक: 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त की जायेगी।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं० 300 एवं सभी वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. लाह उत्पादन का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-564



दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।

15. नियंत्रि/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे। विशेष रूप से सहकारिता विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी न लें।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

17. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा। तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

20. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।

21. प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।



22 योजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

23 संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का व्यय विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

24. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-1, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-2 एवं 3 कार्य दर अनुलग्न-4 पर संलग्न है। कार्य दरें 125 स्वयं सहायता ग्रुप की है जबकि आवंटन प्रत्येक प्रमंडल का 93 स्वयं सहायता ग्रुप का किया गया है, जो उसी तरह अनुपातिक सीमा तक रहेगी।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

HO/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0/ल0व0एस0सी0एस0पी0-44/2015(खण्ड-3)-972 राँची, दिनांक :-01.09.2015


प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा तथा Envis Centre को सूचनार्थ प्रेषित।

HO/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0/ल0व0एस0सी0एस0पी0-44/2015(खण्ड-3)-972 राँची, दिनांक :-01.09.2015

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, देवघर/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, पलामू/कोषागार पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-44/2015/972

दिनांक - 01-Sep

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	58661	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI रुपये तीन लाख अठाइस हजार चार सैं DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	328,400.00
2	P 19 240601789090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	58662	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD रुपये तीन लाख अठाइस हजार चार सैं KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	328,400.00
3	P 19 240601789090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	58663	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA रुपये तीन लाख अठाइस हजार चार सैं DIVISIONAL FOREST OFFICER	328,400.00

योग: 985,200.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये नौ लाख पचयासी हजार दो सौ

(S.P.R. Y. K. SINGH CHAUMAR (IFS))
ADDL PCCF, DEV. JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	58664	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	328,400.00 रुपये तीन लाख अट्ठाइस हजार धार सैं
5	P 19 240601789090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	58666	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.TI .MEDININAGAR	950,000.00 रुपये नौ लाख पचास हजार
6	P 19 240601789090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 02 . मजदूरी	58667	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,586,500.00 रुपये पंद्रह लाख छियासी हजार पाँच सैं
7	P 19 240601789090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	58677	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	328,600.00 रुपये तीन लाख अट्ठाइस हजार छः सैं

योग:		3,193,500.00
क्रमिक योग:	रुपये इकतालीस लाख अठहत्तर हजार सात सैं	4,178,700.00

(Signature)
(SHRI Y. K. SINGH CHADHAN IFS)

ADDL PCCF, DEV. JHARKHAND

(Signature)
RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्त राशि
8	P 19 240601789090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	58678	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	328,600.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार छः
9	P 19 240601789090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	58680	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	328,600.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार छः
10	P 19 240601789090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	58682	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	328,600.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार छः
11	P 19 240601789090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	58683	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.TI .MEDININAGAR	550,000.00 रुपये पाँच लाख पचास हजार

योग:

1,535,800.00

अग्रिक योग:

रुपये सत्तावन लाख चौदह हजार पाँच सौ

5,714,500.00

(SHRI.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 1/9/2015

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं0	निकासी एवं ध्वयन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601789090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	58687	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	772,700.00 रुपये सात लाख बहत्तर हजार सात सैं
13	P 19 240601789090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	58669	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	37,900.00 रुपये सैंतीस हजार नौ सैं
14	P 19 240601789090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	58670	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	37,900.00 रुपये सैंतीस हजार नौ सैं
15	P 19 240601789090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	58671	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	37,900.00 रुपये सैंतीस हजार नौ सैं


योग:

886,400.00

क्रमिक योग:

रुपये छ्छट लाख नौ सैं

6,600,900.00



(SHRI.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं ध्ययन पदा.	आवृत्त राशि
16	P 19 240601789090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	58672	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	37,900.00 रुपये सैतीस हजार नौ सैं
17	P 19 240601789090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	58673	PLMFOR068 MAHALING DFQ.BUFFAR.AREA.TI .MEDININAGAR	200,000.00 रुपये दो लाख
18	P 19 240601789090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	58675	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	524,400.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार चार सैं

योग:

762,300.00

क्रमिक योग:

रुपये तीहत्तर लाख तीरसठ हजार दो सैं

7,363,200.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADD.PCCF.DEV.,JHARKHAND



RANCHI

Run Date: 1/9/2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का त्रि-वर्षीय कार्यों का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-9300 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 930 लाभुक परिवार (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 187.43, वर्ष 2017-18 में रू0 206.17 एवं वर्ष 2017-18 में 226.79 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2015-16 प्रथम वर्ष			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				3.284	3.286	0.379	6.949
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	देवघर वन प्रमंडल.	93	9300	3.284	3.286	0.379	6.949
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल.	93	9300	3.284	3.286	0.379	6.949
3	धनबाद वन प्रमंडल.	93	9300	3.284	3.286	0.379	6.949
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल.	93	9300	3.284	3.286	0.379	6.949
योग :-		372	37200	13.136	13.144	1.516	27.796



 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत मधु प्रसंस्करण की स्थापना एवं साल पत्तल बनाने हेतु प्रसंस्करण की स्थापना का स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर	पलामू जिला के हेनार ग्राम में मधु प्रसंस्करण उपकरण की स्थापना	4.000	3.500	0.000	7.500
		विद्युत आपूर्ति तथा विद्युत व्यवस्था चालू रखने हेतु जेनरेटर की व्यवस्था	0.500	1.000	0.000	1.500
		मधु प्रसंस्करण उपकरण के संचालन हेतु मजदूरी	1.000	0.000	0.000	1.000
		ग्रामीणों को प्रशिक्षण	0.000	0.000	2.000	2.000
		विपणन की व्यवस्था	4.000	1.000	0.000	5.000
योग :-			9.500	5.500	2.000	17.000
	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	स्वयं सहायता समूह के माध्यम से साल पत्तल निर्माण हेतु प्रसंस्करण की स्थापना संग्रहण तथा विपणन/प्रशिक्षण	15.865	7.727	5.244	28.836
योग :-			15.865	7.727	5.244	28.836
सकल योग :-			25.365	13.227	7.244	45.836


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित दर तालिका



वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कार्यान्वित की जाने वाली रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना का प्रस्तावित कार्य लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर	प्रथम वर्ष 2015-16 मजदूरी प्रति मानव दिवस 187.43 रुपये					द्वितीय वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस-206.17 रुपये					तृतीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 226.79 रुपये					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षों का चिह्नंकन	रु० 2.65 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	0.331											0.331	प्रति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का चिह्नंकन किया जाएगा जिसे 5-5 वृक्षों के दो सेट में बांटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट -2 के वृक्षों की कटाई-छटाई फरवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार की मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	0.260					0.000					0.000	0.260	
3	दुलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति दुलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		2.219					0.000					0.000	2.219	प्रथम वर्ष फरवरी/मार्च में सेट-1 के 6250 वृक्षों की कटाई-छटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई-छटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	2.343			2.343	6250 वृक्ष	2.577			2.577					0.000	4.920	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम प्रति वृक्ष; रु० 315.00 प्रति कि०ग्रा०					0.000	6250 वृक्ष		13.781		13.781	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष				0.000	13.781	रंगिनी के लिए बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जाएगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष					0.000	6250 वृक्ष	0.644			0.644	6250 वृक्ष	0.709			0.709	1.353	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अवद्वार/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट-1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2015-16 मजदूरी प्रति मानव दिवस 187.43 रुपये					द्वितीय वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस-208.17 रुपये					तृतीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 226.79 रुपये					सकल योग	अभ्युक्ति							
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय									
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)					0.000	6250 वृक्ष					1.875			1.875	6250 वृक्ष				1.875			1.875	3.750	अक्टूबर/नवंबर माह में सेट-2 के वृक्षों पर संवारण किया जाएगा जिसके लिए सेट-1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
8	कीटनाशक छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे (मटोर) मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000 रु०											7.500			7.500								0.000	7.500	
9	कुत्तों का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष					0.000	6250 वृक्ष	0.515							0.515	6250 वृक्ष	0.567						0.567	1.082	
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)						0.250						0.250			0.250					0.000	0.250		0.250	0.750	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.600	1.500	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000 रु० प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880				2.880	12 CRP (12 माह)	2.880									2.880	7.200	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (सोई/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500						0.500								0.500			0.500	1.500	
	कुल			4.414	3.969	0.510	8.893		7.217	24.906	0.250	32.373		4.756	3.625	0.250	8.631	49.896								
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project cost					0.178						0.647								0.173			0.173	0.998	
	सकल योग			4.414	4.147	0.510	9.071		7.217	25.553	0.250	33.020		4.756	3.798	0.250	8.803	50.894								

नोट: वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर ग्राम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 187.43 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।


योजना कार्यान्वयन कार्यक्रम (प्रपत्र MR-I) वित्तीय वर्ष 2015-16

विभाग:- वन एवं पर्यावरण विभाग			प्रतिवेदित माह:- 02 सितम्बर, 2015										(राशि लाख में)						
क्र०	योजना का नाम	कर्णांकित बजट उपबंध	अवयव (Components)		प्रस्ताव समर्पित का व्यौरा		सरकार द्वारा जारी स्वीकृतादेश			सरकार द्वारा अ०प्र०मु० व०सं० विकास को आवंटनादेश			अपर प्रधान मु० वन संरक्षक, विकास द्वारा उप आवंटन		सरकार को स्वर पर प्रक्रियाधीन स्वीकृतादेश	आवंटन एवं प्रक्रियाधीन स्वीकृतादेश का व्यौरा (13+16)	अ०प्र०मु० व० सं० द्वारा अद्यतन योजना समर्पित की जानी है (3-7)	व्यय का व्यौरा	अभ्युक्ति
			नाम	कर्णांकित राशि	पत्रांक/दिनांक	राशि	ज्ञापांक	दिनांक	राशि	ज्ञापांक	दिनांक	राशि	पत्रांक/दिनांक	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A. राज्य योजना																			
1	वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण	200.000	OA	200.000	538/27.05.15	200.000	4	12.06.2015	200.000	33A	16.06.2015	200.000	655/22.06.15	200.000	0.000	200.000	0.000		
			कुल	200.000		200.000		कुल	200.000			200.000		200.000	0.000	200.000	0.000	0.000	
2	वन सर्वेक्षण, कार्य-निर्देशना, शोध एवं मूल्यांकन योजना	250.000	OA	250.000	451/18.05.15	24.179	39	18.10.2014	84.049	27A	25.05.2015	24.179	582/09.06.15	24.179	0.000	24.179		40.806	
					852/18.05.15	3.306	59	17.12.2013	4.030	28A	25.05.2015	3.306	583/09.06.15	3.306	0.000	3.306			
					485/21.05.15	222.499	8	12.06.2015	222.499	37A	16.06.2015	222.499	686/25.06.15	222.499	0.000	222.499			
			कुल	250.000		249.984		कुल	310.578		कुल	249.984		249.984	0.000	249.984	0.016	40.806	
3	भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना	6400.000	TSP	3187.510	405/01.05.15	661.951	12	1.08.2014	792.165	11A	02.05.2015	661.951	513/22.05.15	661.951	0.000	661.951		226.314	132.455 गैर वन भूमि
					406/01.05.15	43.262	65	18.12.2013	72.190	09A	02.05.2015	43.262	505/22.05.15	43.262	0.000	43.262			750 लाख २० परिसीमित की
					407/01.05.15	20.289	30	03.12.2013	24.160	12A	02.05.2015	20.289	502/22.05.15	20.289	0.000	20.289			
					408/01.05.15	95.744	29	03.12.2013	114.361	10A	02.05.2015	95.744	509/22.05.15	95.744	0.000	95.744			
					553/30.05.15	2210.396	20	26.05.2015	2075.441	49A	01.07.2015	2075.441			134.955	2210.396			23.081 13 ^{मे} विल
					666/23.06.15	23.061									23.061	23.061			132.807 मुख्यमंत्री जन वन योजना
						3054.703		कुल	3078.317		कुल	2896.687		821.246	158.016	3054.703	132.807	226.314	
			OA	2363.790	387/30.04.15	1311.115	15	11.08.2014	1623.034	19A	02.05.2015	1311.115	519/22.05.15	1311.115	0.000	1311.115		492.368	
					388/30.04.15	11.828	33	03.12.2013	14.086	22A	02.05.2015	11.828	514/22.05.15	11.828	0.000	11.828			
					389/30.04.15	52.029	32	03.12.2013	62.591	21A	02.05.2015	52.029	518/22.05.15	52.029	0.000	52.029			
					390/30.04.15	38.408	3	03.07.2014	42.842	20A	02.05.2015	38.408	515/22.05.15	38.408	0.000	38.408			
					393/30.04.15	7.185	34	03.12.2013	8.557	23A	02.05.2015	7.185	517/22.05.15	7.185	0.000	7.185			
					573/07.06.15	211.216	7	12.06.2015	211.216	36A	16.06.2015	211.216			0.000	211.216			
					550/30.05.15	257.523									257.523	257.523			267.523 13 ^{मे} विल
					665/23.06.15	474.473									474.473	474.473			474.473 पुनर्विनियोग
						2363.777		कुल	1962.326		कुल	1631.781		1420.565	731.996	2363.777	0.013	492.368	
			SCSP	848.700	411/01.05.15	40.902	64	18.12.2013	52.251	17A	02.05.2015	40.902	506/22.05.15	40.902	0.000	40.902		195.082	51.184 मुख्यमंत्री जन वन योजना
					412/01.05.15	7.439	41	16.12.2013	8.859	14A	02.05.2015	7.439	507/22.05.15	7.439	0.000	7.439			
					413/01.05.15	92.953	43	16.12.2013	110.918	16A	02.05.2015	92.953	510/22.05.15	92.953	0.000	92.953			
					414/01.05.15	13.830	73	17.02.2014	20.597	18A	02.05.2015	13.830	508/22.05.15	13.830	0.000	13.830			
					415/01.05.15	16.055	42	16.12.2013	19.118	15A	02.05.2015	16.055	504/22.05.15	16.055	0.000	16.055			
					568/07.06.15	626.337									626.337	626.337			
						797.516		कुल	211.743		कुल	171.179		171.179	626.337	797.516	51.184	195.082	
			कुल	6400.000		6215.996		योग	5252.386		योग	4699.647		2412.990	1516.349	6215.996	184.004	913.764	

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2015-16 प्रथम वर्ष			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	देवघर वन प्रमण्डल,	93	9300	3.284	3.286	0.379	6.949
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल,	93	9300	3.284	3.286	0.379	6.949
3	धनबाद वन प्रमण्डल,	93	9300	3.284	3.286	0.379	6.949
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल,	93	9300	3.284	3.286	0.379	6.949
5	बफर एरिया, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर			9.500	5.500	2.000	17.000
6	घतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, घतरा			15.865	7.727	5.244	28.836
योग :-		372	37200	38.501	26.371	8.760	73.632

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची